POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनाकं 18-10-2024

1.थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्राधिकरण की एफ0डी0 बनाकर 3 करोड़ 90 लाख रूपये स्थानांतरण कर धोखाधडी करने वाला 25 हजार रूपये का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक आधार कार्ड, 2 पेन कार्ड, एक डीएल, 02 डेबिट कार्ड, 07 क्रेडिट कार्ड व एक मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.10.2024 को **थाना सेक्टर-58** नोएडा पुलिस, सर्विलांस सेल नोएडा जोन व क्राईम ब्रांच पुलिस टीम द्वारा दुर्गापुरी चौक के पास दिल्ली से फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्राधिकरण की एफ0डी0 बनाकर 3 करोड़ 90 लाख रूपये स्थानांतरण कर धोखाधडी करने वाला 25 हजार रूपये का वांछित अभियुक्त राहुल मिश्रा उर्फ गौरव शर्मा पुत्र महेश शर्मा को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक आधार कार्ड, 2 पेन कार्ड, एक डीएल, 02 डेबिट कार्ड, 07 क्रेडिट कार्ड व एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

विवरण-- वादी मुकदमा ने दिनांक 04.07.20223 को थाना सेक्टर-58, नोएडा पर एफआईआर पंजीकृत कराया गया था कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अपने बैंक खातों में जमा धनराशि को अधिकत्तम ब्याज देने के आधार पर बैंक ऑफ इण्डिया सेक्टर-62 को 200 करोड़ रूपये की एफडी को स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 21.06.2023 को बैंक खाता संचालन हेतु भी पत्र निर्गत किया गया। बैंक ऑफ इण्डिया सेक्टर-62 द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.06.2023 एवं ई-मेल के द्वारा बैंक खाता खोले जाने की पुष्टि की गयी। तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा 100-100 करोड़ रूपये की धनराशि दिनांक 26.06.2023 को एचडीएफसी बैंक सेक्टर-18 शाखा एवं इण्डियन बैंक सेक्टर-61 के खातों से भेजकर उपरोक्त कुल धनराशि रु 200 करोड़ की एफडी बनाकर नोएडा प्राधिकरण को उपलब्ध कराने को कहा गया। इस संबंध में बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 100-100 करोड़ रूपये की दो एफडी की मूल प्रति दिनांक 26.06.2023 को प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया। दिनांक 03.07.2023 को बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सेक्टर-62 द्वारा दिये गये एफडी की पुष्टि करने के लिये बैंक शाखा आया तो पता चला कि बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा धनराशि 200 करोड़ रूपये की एफडी नहीं बनवायी गयी थी बल्कि उस खाते से दिनांक 30.06.2023 को रू0 3.90 करोड़ किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिये गये।

प्राधिकरण के खाते में जमा धनराशि फ्रीज करते हुए बैंक शाखा द्वारा तत्काल 9 करोड़ रूपये के स्थानांतरण को रोक दिया गया तथा प्राधिकरण द्वारा जारी वित्त नियंत्रक महोदय एवं अधोहस्ताक्षरी के फर्जी हस्ताक्षर बनाये हुये प्रपत्र मिले तथा उनके मूल हस्ताक्षर वाले प्रपत्र बैंक में नहीं मिले तथा बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सेक्टर-62 द्वारा दिनांक 26.06.2023 को उपलब्ध करायी गयी 100-100 करोड़ रूपये की दो एफडी भी फर्जी एवं कूट रचित बताया है तथा बैंक में प्राधिकरण द्वारा खोले गये खाते को अब्दुल खादर नामक व्यक्ति द्वारा संचालित करना बताया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित बैंक के कर्मियों द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के साथ मिलकर फर्जी एवं कूटरचित प्रपत्र एवं एफडी तैयार करते हुये प्राधिकरण को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58 पर मु0अ0सं0-256/2023 धारा 420, 467, 468, 471,120बी, 409 भादवि पंजीकृत किया गया।

इन लोगो द्वारा धोखाधड़ी के शुरुआती चरण में बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेजों में जालसाजी की गई। इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपराधियों ने नोएडा प्राधिकरण के नाम से खाता खोलने के इरादे से बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया। नोएडा प्राधिकरण द्वारा बैंक आफ इंडिया को जारी किया गया मूल पत्र कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा, क्योंकि इसे एक जाली दस्तावेज से बदल दिया गया था। जिन अपराधियों ने यह कृत्य किया उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

जाली दस्तावेज को बैंक आफ इंडिया तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को पिछले साल ही गिरफ्तार किया जा चुका है, उसका नाम अब्दुल खादर है। इसी व्यक्ति ने नोएडा प्राधिकरण के खाते के लिए अधिकृत खाता संचालक होने का दावा किया था। अपनी अनधिकृत पहुँच का फायदा उठाते हुए इस व्यक्ति ने 30 जून, 2023 को बीओआई खाते से 3.9 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया। पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड मनु भोला था, जिसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सारी साजिश रची थी।

इस मुकदमे में पहले अभियुक्त 1.अब्दुल खादर 2.राजेश पाण्डेय 3.सुधीर 4.मुरारी 5.राजेश बाबू 6.मन्नू भोला व 7.त्रिदिब दास की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है, इसी क्रम में अभियुक्त राहुल मिश्रा उर्फ गौरव शर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिस पर 25,000 रूपये का ईनाम घोषित था।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त राहुल मिश्रा उर्फ गौरव शर्मा ने बताया कि अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर नोएडा विकास प्राधिकरण की 200 करोड़ रूपये की फर्जी एफ0डी0 बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सेक्टर-62, नेाएडा में बनवाकर नोएडा विकास प्राधिकरण को देकर और एफ0डी0 के खाते में जमा 200 करोड रूपये को तीन खातो में करीब 3.90 करोड रूपये ट्रांसफर किया गया तथा जब 9 करोड रूपये ट्रांसफर कर रहे थे बैंक को शक हो गया और हमारे एक साथी अब्दुल खादर को पुलिस ने पकड़ लिया था। यह सारा पैसा 1.अब्दुल खादर, 2.राजेश पाण्डेय, 3.सुधीर, 4.मुरारी व 5.राजेश बाबू व अन्य अभियुक्तगण ने हवाला के माध्यम से दिल्ली में नकद प्राप्त कर लिया था। इस काम से मुझे लगभग 5 लाख रूपये मिले थे। बाकि पैसा अन्य लोगो में बट गया था। मैने अपनी असली पहचान छुपाने के लिये राहुल मिश्रा पुत्र हरिओम मिश्रा निवासी कबूल नगर शाहदरा दिल्ली के नाम पते का फर्जी आधार कार्ड बनाया था उसी आधार कार्ड का उपयोग करते हुये मेरे द्वारा कैनरा बैंक की शाखा में एक खाता

खुलवाया गया था और दो मोबाइल नम्बर भी इसी नाम-पते पर लिये गये थे तथा अपने सह अभियुतगणो से भी अपनी पहचान राहुल मिश्रा के रूप में बतायी थी ताकि मै गिरफ्तारी से बचा रहूं।

अभियुक्त का विवरण--

1. राहुल मिश्रा उर्फ गौरव शर्मा पुत्र महेश शर्मा निवासी दुर्गापुरी मंडोली रोड थाना मान सरोवर पार्क दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली वर्तमान पता दुर्गापुरी एक्टेंशन थाना ज्योतिनगर दिल्ली।

बरामदगी का विवरण--

1. एक आधार कार्ड
2. दो पेन कार्ड
3. एक डीएल
4. दो डेबिट कार्ड
5. सात क्रेडिट कार्ड
6. एक मोबाइल फोन

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-256/2023 धारा 420, 467, 468, 471,120बी, 409 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

2. थाना कासना पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाते हुए 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार, 01 सब्बल, 01 पेचकस, 01 हथौडी व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.10.2024 को **थाना कासना** पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना की सहायता से थाना क्षेत्र के घंघौला के खेतों में टीन शेड से लूट की योजना बनाते हुए 03 अभियुक्तों 1.रिंकू शर्मा पुत्र हरी शर्मा 2.अंकित भाटी पुत्र अनिल भाटी 3.अतुल पाल पुत्र विजयपाल को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 सब्बल, 01 पेचकस, 01 हथोडी, 01 मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी 16 डीएफ 9269 व अभियुक्त रिंकू के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, अभियुक्त अंकित व अतुल के कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद हुए है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. रिंकू शर्मा पुत्र हरी शर्मा निवासी ग्राम कुलीपुरा, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष।
2. अंकित भाटी पुत्र अनिल भाटी निवासी ग्राम घंघोला, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष।
3. अतुल पाल पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम सिरसा, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1- अभियुक्त रिंकू के कब्जे से अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर
2- अभियुक्त अंकित व अतुल के कब्जे से 02 अवैध चाकू
3- 01 सब्बल
4- 01 पेचकस
5- 01 हथौडी
6- 01 मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी 16 डीएफ 9269

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

- अभि0 रिंकू--

1. मु0अ0सं0 213/2016 धारा 41/102 सीआरपीसी, 411 भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 251/2024 धारा 312,313 बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

- अभि0 अंकित भाटी--

1. मु0अ0सं0 251/2024 धारा 312,313 बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

- अभि0 अतुल पाल--

1. मु0अ0सं0 150/2020 धारा 302/323 भादवि थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 251/2024 धारा 312,313 बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।